

प्रेषक,

राजेन्द्र सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

कृषि एवं कृषि विपणन अनुभाग-1

देहरादून दिनांक 12 जुलाई, 2017

विषय-कृषि विभाग का सामान्य अधिष्ठान योजना में धनराशि अवमुक्ति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1910/लेखा-बजट/सामा0अधि0/2016-17 दिनांक 21 जून, 2017, शासनादेश संख्या-313/XIII-1/2017-5(17)2006 दिनांक 11 अप्रैल, 2017 एवं वित्त विभाग के शासनादेश सं0-610 दिनांक 30 जून, 2017 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में कृषि विभाग की सामान्य अधिष्ठान योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि ₹10921.01 लाख के सापेक्ष पूर्व में अवमुक्त राशि ₹5263.85 लाख के उपभोग के उपरान्त शेष राशि ₹5646.16 लाख (रुपये छप्पन करोड़ छियालीस लाख सोलह हजार मात्र) की धनराशि निम्न विवरण एवं शर्तों के अधीन व्यय करने हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(धनराशि हजार रु में)

कोड सं०	मानक मद	प्राविधानित धनराशि	प्रस्तावित धनराशि
01	वेतन	465195	465195
02	मजदूरी	400	400
03	मंहगाई भत्ता	27910	27910
04	यात्रा व्यय	1000	1000
05	स्थानान्तरण यात्रा व्यय	800	800
06	अन्य भत्ते	43415	43415
07	मानदेय	200	200
08	कार्यालय व्यय	1733	633
09	विद्युत देय	867	867
10	जलकर/जल प्रभार	267	267
11	लेखन सामग्री एवं फार्मों की छपाई	533	533
12	कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	500	500
13	टेलीफोन पर व्यय	333	333
15	गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	1133	1133
16	व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान	14667	14667
17	किसाया, उपशुल्क और कर-स्वामित्व	1200	1200
18	प्रकाशन	67	67
19	विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	333	333
22	आतिथ्य व्यय विषयक भत्ता आदि	33	33
26	मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	300	300
27	चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	3333	3333
29	अनुरक्षण	400	400
42	अन्य व्यय	550	550
44	प्रशिक्षण व्यय	167	167
45	अवकाश यात्रा व्यय	67	67
46	कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	100	100
47	कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	213	213
	योग:-	565716	564616

क्रमशः.....2

①

- 2- स्वीकृत धनराशि का उपयोग वित्त विभाग के उपरोक्त शासनादेश दिनांक 30 जून, 2017 में निहित प्राविधानों, वित्तीय नियम संग्रहों, बजट मैनुवल, स्टोर पर्चेज नियमावली/प्रोक्योरमेन्ट रुल्स, 2008 तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अर्न्तगत सुनिश्चित किया जायेगा।
- 3- बजट मैनुवल में निर्धारित प्रक्रिया के अधीन कोषागार द्वारा प्रमाणित वाकूचर संख्या एवं दिनांक के आधार पर व्यय विवरण 10 तारीख तक प्रपत्र बी0एम0-8 पर आहरण वितरण अधिकारी द्वारा ठीक पूर्व माह की सूचना विभागाध्यक्ष को तथा विभागाध्यक्ष द्वारा 20 तारीख तक प्रपत्र बी0एम0-8 पर संकलित व्यय विवरण वित्त विभाग/शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।
- 4- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान सं0-17 के लेखाशीर्षक-2401 फसल कृषि कर्म-00-001-निदेशन तथा प्रशासन-04 कृषि विभाग का सामान्य अधिष्ठान-00-योजना के उपरोक्त सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।
- 5- यह आदेश उक्त सन्दर्भित वित्त विभाग के शा0सं0-183/xxvii(1)/2012 दिनांक 28 मार्च, 2012 में विहित व्यवस्था के क्रम में www.cts.uk.gov.in से सॉफ्टवेयर के माध्यम से उपरोक्त स्वीकृति/बजट आवंटन हेतु निर्गत विशिष्ट अलोटमेन्ट आई0डी0-S1707170171 दिनांक 12 जुलाई, 2017 के अर्न्तगत तथा वित्त विभाग के शासनादेश सं0-610/xxvii(1)/2017 दिनांक 30 जून, 2017 दिये गये दिशा निर्देशानुसार जारी किये जा रहे हैं।

भयदीय,

(राजेन्द्र सिंह)
संयुक्त सचिव

संख्या: 722(1)/XIII-1/2017-5(17)2006 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड माजरा, देहरादून।
2. महालेखाकार, लेखा परीक्षा, इन्द्रानगर, देहरादून।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. समस्त मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. वित्त नियन्त्रक, कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड।
6. अपर कृषि निदेशक, पौड़ी/संयुक्त कृषि निदेशक, हल्द्वानी।
7. समस्त मुख्य कृषि अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी, कृषि विभाग उत्तराखण्ड।
8. वित्त अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन।
9. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,
Shuvedi
(धीरेन्द्र कुमार सिंह)
अनु सचिव